

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक-1/1/1/0057/2026/GAD-3-01

भोपाल, दिनांक-14/10/2026

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश।

विषय: चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को सहायक ग्रेड-3/समकक्ष पद पर पदोन्नति हेतु CPCT अर्हता से छूट प्रदान करने बाबत।

संदर्भ: सामान्य प्रशासन विभाग विभाग के परिपत्र -

1. क्रमांक सी-3-10/03/3/एक, दिनांक 01.04.2003,
2. क्रमांक सी-3-18/1/3/2010, दिनांक 31.08.2010,
3. क्रमांक सी-3-08/2013/1/3, दिनांक 01.07.2013,
4. क्रमांक सी-3-15/2014/1/3, दिनांक 26.02.2015,
5. क्रमांक सी-3-07/2015/1/3, दिनांक 18.08.2015,
6. क्रमांक सी-3-07/2015/1/3, दिनांक 29.05.2019,

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित परिपत्रों द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को सहायक ग्रेड-3 के पद पर पदोन्नति हेतु पात्रता के संबंध में समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। म.प्र. लोक सेवा पदोन्नति नियम, 2025 के अंतर्गत समस्त विभागों में पदोन्नति की कार्यवाही प्रचलन में है। इस संबंध में राज्य शासन द्वारा पूर्व में जारी निर्देशों के क्रम में चतुर्थ श्रेणी से सहायक ग्रेड-3 के पद पर पदोन्नति की कार्यवाही में उत्पन्न कठिनाइयों के निराकरण एवं स्पष्टता के लिए समेकित निर्देश जारी करने का निर्णय लिया गया है।

2/ अतः राज्य शासन एतद् द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पदोन्नति के समुचित व न्यायसंगत अवसर उपलब्ध कराने की दृष्टि से सहायक ग्रेड-3 के पद पर पदोन्नति के संबंध में पूर्व में प्रसारित निर्देशों को समेकित करते हुये निम्नानुसार स्पष्टीकरण जारी किया जाता है:-

1. सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता के साथ शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं से एक वर्षीय कम्प्यूटर डिप्लोमा एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (Computer Proficiency Certification Test- CPCT) प्रमाण पत्र (स्कोर कार्ड) की अनिवार्य अर्हता है, जिसके Score Card की वैधता 07 वर्ष निर्धारित है।

2. ऐसे कर्मचारी जो सहायक ग्रेड-3 के पद पर पदोन्नति के लिए वांछित शैक्षणिक योग्यता रखते हैं, उन्हें उक्त पद पर 02 वर्ष की परीक्षण अवधि पर पदोन्नति दी जाएगी। इस अवधि में कर्मचारी को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (CPCT) उत्तीर्ण करना होगा तथा नीचे उल्लेखित किसी एक मान्यता प्राप्त संस्था से 01 वर्षीय कम्प्यूटर डिप्लोमा/सर्टिफिकेट प्राप्त करना होगा:-

- यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से डिप्लोमा।
- यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा।
- डी.ओ.ई.ए.सी.सी. से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा।
- शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज से मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स।
- राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (N.C.V.T) नई दिल्ली अथवा राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (S.C.V.T) मध्यप्रदेश द्वारा प्रदत्त एक वर्षीय कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (COPA) प्रमाण पत्र।

उपरोक्त मान्यता प्राप्त संस्थाओं से कम्प्यूटर डिप्लोमा के अलावा निम्न अर्हता भी मान्य होगी:

- बी.ई.(सी.एस.ई/ आई.टी.)/ एम.सी.ए./ बी.सी.ए./ एम.एस.सी.(आई.टी./ सी.एस.)बी.एस.सी. (आई.टी./ सी.एस.) एम.टेक./ एम.ई इत्यादि।
- ए.आई.सी.टी.ई. से अनुमोदित पोलिटेक्निक डिप्लोमा इन कम्प्यूटर साइंस/ कम्प्यूटर एप्लीकेशन एवं इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी इत्यादि।
- बी.एस.सी./ बी.कॉम./ डिग्रियां जिनमें केवल कम्प्यूटर के एक विषय का अध्यापन सम्मिलित हैं मान्य नहीं होगा। इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदत्त बी.एस.सी. उपाधि धारक बी.एस.सी. की परीक्षा आई.टी./ कम्प्यूटर साइंस के अंतर्गत अन्य विषयों के साथ अध्ययन कर परीक्षा उत्तीर्ण हैं तो अंक सूची के आधार पर आई.टी./ कम्प्यूटर साइंस विषय प्रमाणित होने पर बी.एस.सी.(आई.टी./ सी.एस.) के समकक्ष मान्य किया जाए।

3. यदि कोई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 02 वर्ष की परीक्षण अवधि में उक्त निर्धारित योग्यता प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उसकी परीक्षण अवधि अधिकतम 03 वर्ष के लिए और बढ़ाई जा सकेगी जो कुल अवधि के 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
4. यदि 5 वर्ष की कुल परीक्षण अवधि में भी संबंधित कर्मचारी द्वारा यह योग्यता प्राप्त नहीं की जाती है, तो उसे अनिवार्य रूप से उसके मूल चतुर्थ श्रेणी पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जाए।
5. चतुर्थ श्रेणी के ऐसे शासकीय सेवक जो अपनी पदोन्नति की तिथि को 45 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं, उन्हें सहायक ग्रेड-3 के पद पर पदोन्नति हेतु CPCT स्कोर कार्ड से छूट प्रदान की जाती है परंतु कम्प्यूटर दक्षता की अनिवार्यता बनी रहेगी।

6. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यह छूट केवल विभागीय पदोन्नति के मामलों में ही लागू होगी। सीधी भर्ती अथवा अन्य किसी माध्यम से होने वाली नियुक्तियों पर इस छूट का कोई प्रभाव नहीं होगा और उनमें निर्धारित CPCT व डिप्लोमा की अर्हता यथावत अनिवार्य रहेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार,

Digitally signed by

Ankit Asthana

Date: 14-10-2026

17:41:55

(अंकित अस्थाना)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक-14/10/2026

पृ.क्रमांक-1/1/1/0057/2026/GAD-3-01

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजभवन, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय भोपाल।
3. सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय, भोपाल।
5. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर।
6. आयुक्त, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल।
7. उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना), की ओर आदेश को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग